न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डनायक,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश आर्य

तारीख रजू 10/01/2011

प्रकरण संख्या 33/2011

–सायल(प्रार्थी)

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर।

बनाम

श्री रामदास पुत्र श्री कवरपाल मीणा निवासी मैनपुरा थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर।

––गेर सायल(अप्रार्थी)

अभियोग–पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

दिनांक 15.03.2024

निर्णय

पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 व धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल (अप्रार्थी) श्री रामदास पुत्र श्री कवरपाल मीणा निवासी मैनपुरा थान मानटाउन जिला सवाई माधोपुर के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसाय (अप्रार्थी) के विरूद्व पुलिस थाना मानटाउन सवाई माधोपुर मे निम्न अभियोग पंजीबद्व होना बताया है

क.स	मुकदमा नम्बर दिनांक	धारा	नाम थाना	चार्जशीट नम्बर दिनांक
1	01/05 दिनांक 01.01.05	379 भा0द0सं0	मानटाउन	92 दिनांक 26.04.05
2	02/05 दिनांक 01.01.05	323,325,341,34 भा0द0सं0	मानटाउन	54 दिनांक 20.03.05
3	142/05 दिनांक 10.04.05	323,341,342,365 भा0द0सं0	मानटाउन	197 दिनांक 18.07.05
4	126/06 दिनांक 06.05.06	379 भा0द0सं0	थाना अशोक नगर जयपुर	64 दिनांक 17.06.07
5	133/07 दिनांक 04.05.07	379 भा0द0सं0	थाना महेश नगर जयपुर	79 दिनांक 31.05.07
6	167/07 दिनांक 17.09.07	379 भा0द0सं0	मलारना डूंगर	123 दिनांक 16.10.07
7	268/07 दिनांक 20.05.07	379 भा0द0सं0	बजाज नगर जयपुर	–
8	979/07 दिनांक 08.09.07	379 भा0द0सं0	सांगानेर जयपुर	453 दिनांक 03.02.08
9	147/07 दिनांक 01.05.07	379 भा0द0सं0	सोडाला जयपुर	216 दिनांक 29.10.07
10	320/08 दिनांक 08.12.08	379 भा0द0सं0	ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर	334 दिनांक 29.12.08
11	452/08 दिनांक 06.11.08	379 भा0द0सं0	थाना मानटाउन	302 दिनांक 20.12.08

उक्त पंजीबद्व आपराधिक प्रकरणो मे बाद जॉच चार्जशीट किता कर संबंधित न्यायालय मे च पेश किया गया। गैरसायल आदतन चोरी व मारपीट करने का आदी है तथा भारतीय दण्ड संहिता 18 अध्याय 16 व 17 के अन्तर्गत आने वाले अपराधो को आदतन रूप से करता चला आ रहा है जिससे

अतिरिक्त जिला ...
सवाई माधोपुर

में निवास करने वाले नागरिको की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं उनकी जान की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। गैरसायल को समय–समय पर उसके द्वारा किये गये अपराधो में गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किये गये किन्तु गैरसायल अपराध का आदी हो गया है तथा उसने समाज मे खतरनाक रूप ले लिया है जिसे अब ना पुलिस का भय रहा है और नाही न्यायालय प्रकिया का। अतः उक्त गैर सायल को आदतन अपराधी मानते हुए राजस्थान गुण्डा एक्ट की धारा 2 उपधारा (ख)(i)(vii)(viii) के तहत गुण्डा घोषित कराया जाकर धारा 3 के तहत उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जावे।

अभियोग पत्र के साथ तालिका मे अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट, चार्जशीट की प्रतियां प्रस्तुत की है।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 के नियम–4 मे उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिभाषक उपस्थित आया। श्री रामदास पुत्र श्री कंवरपाल मीना निवासी ग्राम मैनपुरा थाना मानटाउन तहसील एवं जिला सवाई माधोपुर द्वारा आरोप पत्र मे लगाये आरोपो का खण्डन करते हुए जवाब पेश किया। तत्पश्चात् उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने बहस मे तर्क दिया कि गैरसायल आदतन चोरी व मारपीट करने का आदी है तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 16 व 17 के अन्तर्गत आने वाले अपराधो को आदतन रूप से करता चला आ रहा है जिससे इलाके में निवास करने वाले नागरिको की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं उनकी जान की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। गैरसायल को समय–समय पर उसके द्वारा किये गये अपराधो में गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किये गये किन्तु गैरसायल अपराध का आदी हो गया है जिसे अब ना पुलिस का भय रहा है और नाही न्यायालय प्रकिया का तथा उसने समाज मे खतरनाक रूप ले लिया है। अतः उक्त गैर सायल को आदतन अपराधी मानते हुए राजस्थान गुण्डा एक्ट की धारा 2 के तहत गुण्डा घोषित कराया जाकर धारा 3 के तहत उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जावे।

विद्वान वकील गैर सायल ने जवाब मे अंकित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि पुलिस ने गैरसायल के विरूद्ध राजनैतिक द्वेषता व रंजिश वश मुकदमे दर्ज कराये गये थे। जिनमें गैरसायल के विरूद्ध इस्तगासा में जो भी समस्त मुकदमें न्यायालय में पेण्डिंग बताये है, उनका सभी न्यायालयों में निस्तारण हो गया है तथा वर्तमान में प्रार्थी के खिलाफ कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। विद्वान वकील गैरसायल में बहस में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की रूलिंग ''राना राम बनाम राजस्थान राज्य वगै0 निर्णय दिनांक 30.01.2001 पेश कर यह भी तर्क दिया कि गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अर्न्तगत इस्तगासा प्रस्तुत किया है जबकि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) गुण्डा की परिभाषा में स्पष्टीकरण के अनुसार ''आदतन'' व्यक्ति वह है जो धारा 3 के अधीन कार्यवाही के आरम्भ से तुरन्त गत 6 माह के भीतर तीन से अन्यून अवसर पर अपराध कारित करता है। पुलिस द्वारा अभियोग पत्र दिनांक 13.10.2010 को पेश किया गया है तथा प्रकरण में गैरसायल रामदास को धारा 3 के अधीन दिनांक 18.01.2011 को नोटिस जारी किया गया है जिसमें उसके विरूद्ध अन्तिम अपराध मुकदमा नम्बर 452/08 दिनांक 06.11.2008 है। अर्थात् आरोपी रामदास के विरूद्ध दर्ज प्रकरण धारा 2 (ख) ''गुण्डा'' की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं। अतः उक्त इस्तगासा प्रारम्भ से ही शून्य है, साथ ही वकील गैरसायल ने गैरसायल खिलाफ प्रस्तुत किये गये अभियोग पत्र मे कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी व विद्वान वकील गैरसायल की बहस सुनने व मनन करने तथा अभियोग पत्र पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भली भांती अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि सायल द्वारा इस्तगासा पेश करने से तुरन्त पूर्व छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपराध कारित करते हुए पाया जाना आवश्यक है लेकिन सायल द्वारा इस्तगासा दिनांक 13.10.2010 को प्रस्तुत किया है जिसमें

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उसके विरूद्ध अन्तिम अपराध मुकदमा नम्बर 452/08 दिनांक 06.11.2008 है। इस प्रकार इस्तगासा पेश दिनांक से तुरन्त पूर्व छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा अपराध सिद्ध न होने के कारण गैरसायल गुण्डा की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सायल द्वारा गैरसायल के खिलाफ प्रस्तुत किया गया अभियोग पत्र अस्वीकार किया जाकर गैरसायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 75 की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सवाईमाधोपुर